

# फर्द अहकाम

बनाम \_\_\_\_\_

T / वर्ष

: \_\_\_\_\_ / 20 \_\_\_\_\_


कि आज्ञा  
कार्यवाही

आज्ञा विस्तृत रूप से

विशेष विवरण

29/9/22

पतावली पेश हुई। वादी व वादी वकील को  
सांयकाल 5pm तक बार-बार आवाज लगाने  
पर भी कोई हाजिर अदालत नहीं आए। न ही  
वादी की ओर से पैरवी करने हेतु अन्य कोई  
हाजिर अदालत आया। अतः दावा अफम हाजरी  
एवं अफम पैरवी में खारिज किया जाता है।  
पतावली वाद वकील साखील फर्द हो।

  
उपखण्ड अधिकारी  
चाकसू (जयपुर)

